

वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत प्रस्तावक विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं०-०.००० से १९.२०० तक तहसील-राबर्टसगंज जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित होने वाली ११.७९ हे० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य का किया जाना प्रस्तावित है। "नया रोड बनाने पर डायवर्जन आदि पर अधिक व्यय आयेगा तथा अधिक वृक्षों का कटान करना पड़ेगा, जिसके कारण पर्यावरण को नुकसान होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वन भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है।

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग, सोनभद्र


रमेश चन्द्र (कटियार)
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण वि०
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लोक निर्माण विभाग सोनभद्र